**मै0 इडिंयन ऑयल कार्पोरेशन लि0,मेरठ टर्मिनल, वेद व्यासपुरी,पी0ओ0 औद्योगिक एस्टेट परतापुर, मेरठ टर्मिनल पर अतिरिक्त टैंकेज का प्रस्तावित निर्माण (01 नं0 एम0एस0, क्षमता 7000कि0ली0) और मौजूदा टैंकों में उत्पादों के परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 26.10.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।**

उपरोक्त संदर्भित परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक **मै0 इडिंयन ऑयल कार्पोरेशन लि0,मेरठ** टर्मिनल के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या– एच 25273/सी–3/एन0ओ0सी0–558/2018 दिनांक 27.08.2018, जो कि जिलाधिकारी मेरठ को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ को पृष्ठांकित है,के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी मेरठ से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ के अनुरोध पर जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा दिनांक 26.10.2018 को परियोजना स्थल पर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1)' (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक अमर उजाला", "दैनिक हिन्दुस्तान" एवं "दैनिक जनवाणी" के मेरठ संस्करण में दिनांक 15.09.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 26.10.2018 को जिलाधिकारी मेरठ द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन परियोजना स्थल मै0 इडिंयन ऑयल कार्पोरेशन लि0,मेरठ टर्मिनल, वेद व्यासपुरी,पी0ओ0 औद्योगिक एस्टेट परतापुर, मेरठ टर्मिनल में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नांकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री मुकेश चंद्र,अपर जिलाधिकारी, सिटी,मेरठ।
2. श्री आर0के0त्यागी,क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,मेरठ।
3. डा0 योगेन्द्र कुमार,सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,मेरठ।
4. श्री निलेश अग्रवाल(पर्यावरणीय सलाहकार),अर्थ प्रोटेक्शन ग्रुप ऑफ एन्वायरमेन्टल कसंलटेंट प्रा0लि0,गोमती नगर,लखनऊ।
5. श्री एस0पी0 सिंह,अवर अभियंता, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,मेरठ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,मेरठ द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय को अवगत कराया गया। उक्त परियोजना में पूर्व से स्थापित एम0एस0 (पेट्रोल) क्षमता 8000कि0ली0 के अतिरिक्त एक नया एम0एस0 (पेट्रोल) क्षमता 7000कि0ली0 का एक नया टैंकेज का निर्माण प्रस्तावित एवं मौजूदा टैंकों में उत्पादों में परिवर्तन प्रस्तावित है। उद्योग द्वारा उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल/वायु सहमति तथा परिसंकटमय अपशिष्ट प्राधिकार प्राप्त किया गया है। उक्त पूर्व से कार्यरत परियोजना में आपूर्ति की अधिकता के दृष्टिगत परियोजना में क्षमता विस्तारीकरण के प्रस्ताव पर आज आयोजित लोक सुनवाई की पूर्व सूचना दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 15.09.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी परंतु आज दिनांक तक उक्त परियोजना से संबंधित सुझाव/शिकायत/टिका टिप्पणियॉ प्राप्त नही हुई हैं।

अतः आज लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुझाव/शिकायत/टिका टिप्पणियॉ दर्ज करायें साथ ही पर्यावरणीय सलाहकार से अनुरोध किया गया कि प्रस्तावित परियोजना के विस्तृत विवरण से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराने का कष्ट करें।

पर्यावरणीय सलाहकार,अर्थ प्रोटेक्शन ग्रुप ऑफ एन्वायरमेन्टल कसंलटेंट प्रा0लि0,द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 इडिंयन ऑयल कार्पोरेशन लि0,मेरठ टर्मिनल, वेद व्यासपुरी,पी0ओ0 औद्योगिक एस्टेट परतापुर, मेरठ टर्मिनल की स्थापना सन् 1985 में हुई थी। उक्त परियोजना में एम0एस0,एच0एस0डी0 एवं एस0के0ओ0 को पाइपलाइन,टैंकर एवं रेलमार्ग द्वारा प्राप्त कर परियोजना स्थल निर्मित टैंकों में भण्डारित कर आपूर्ति का

वर्ष किया जाता है। परियोजना में आपूर्ति की अधिकता के दृष्टिगत परियोजना की क्षमता का विस्तारीकरण हेतु एक नये टैंक क्षमता 7000 कि0ली0 की स्थापना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित परियोजना पूर्व से स्थापित इकाई परिसर में की जानी है। परियोजना विस्तारीकरण हेतु किसी भी प्रकार की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। उक्त प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 7.5 करोड है। साथ ही अवगत कराया गया कि पूर्व से कार्यरत परियोजना द्वारा आस पास के क्षेत्रों में सी0एस0आर0 के अंतर्गत शिक्षा/पेयजल/आवागमन हेतु कार्य किया गया। उक्त प्रस्तावित परियोजना से आस पास के निवासियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से रोजगार की प्राप्ति होगी।

अग्रेतर अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव के मूल्यांकन के दृष्टिगत आस पास के क्षेत्र में 03 माह तक जल/वायु/ध्वनि/मृदा का अनुश्रवण किया गया है। प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु उपाय किये जायेंगे।

प्रस्तावित परियोजना में वायु प्रदूषण का कोई भी स्रोत स्थापित नही किया जायेगा। यद्यपि किसी समय रिसाव की स्थिति बनती है तो प्रदूषण का संभावना उत्पन्न हो सकती है जिसके नियंत्रण हेतु उच्च गुणवत्ता के बाल्ब का प्रयोग किया जायेगा। पैट्रोलियम पदार्थ के परिवहन हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले ट्रकों इत्यादि को निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी जिससे आस पास के जन मानस को समस्या उत्पन्न न होने पाये।

परियोजना में डी0जी0सेट का प्रयोग वैकल्पिक विद्युत ऊर्जा स्टैंड बाई के रुप में किया जायेगा।जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु घरेलु प्रयोजनार्थ जनित घरेलु उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 10.0 के0एल0डी0 प्रस्तावित है। घरेलु उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के उपरांत इकाई परिसर में विकसित की जाने वाली हरित पट्टिका के सिचाई हेतु प्रयोग में जाये जाने का प्राविधान किया गया है। शेष शुद्धिकृत जल को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से शुद्धिकृत कर आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर प्रयोग में लाये जाने वाले जल अथवा मॉकड्रिल हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले जल हेतु प्रयोग किया जायेगा। किसी भी प्रकार के उत्प्रवाह से भूमिजल एवं सतही जल को प्रदूषित नही किया जायेगा। इकाई परिसर में स्थापित भण्डारण टैंकों से जनित स्लज 0.5 टी0पी0ए0 को टी0एस0डी0एफ0 को पूर्व से ही दिये जाने का प्राविधान किया गया है तथा सदस्यता भी ग्रहण की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,मेरठ द्वारा आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से सुझाव/शिकायत दर्ज कराये जाने का अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी(सिटी),मेरठ द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से परियोजना में विस्तारीकरण के संबंध में सुझाव ज्ञापित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित लोगों द्वारा व्यक्त की गई अपात्ति/शंकायें/प्रश्न एवं उनके उद्योग प्रतिनिधि/परामर्शी द्वारा दिये गये समाधानों का विवरण निम्नवत है--

श्री आदित्य ,ग्राम–पूठा,तहसील व जनपद – मेरठ,द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व से कार्यरत परियोजना में सुरक्षा हेतु पूर्ण इंतजाम किये गये हैं तथा परियोजना के विस्तारिकरण से रोजगार में बढोत्तरी होगी। मुझे परियोजना के विस्तारिकरण से कोई आपत्ति नही है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित जन समुदाय से पूछा गया कि आस पास के क्षेत्र में भूगर्भ जल की कोई समस्या तो नही है।

श्री धर्मवीर पुत्र श्री प्यारेलाल, ग्राम–पूठा,तहसील व जनपद – मेरठ, द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना 25 वर्ष से कार्यरत है। उक्त परियोजना से कोई समस्या नही है। हम पूर्णतः संतुष्ट है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्योग प्रतिनिधि से पूछा गया कि परियोजना विस्तारीकरण से वाहनों के आवागमन में बढोत्तरी होगी जिससे रोड टूटने की समस्या उत्पन्न होगी। उक्त के मरम्मत हेतु क्या प्राविधान किये गये हैं?

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रोड के मरम्मत हेतु रु0 10 लाख व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है तथा पूर्व में ही रु0 3.75 करोड मेरठ विकास प्राधिकरण को भुगतान किया गया है।

श्री सोहनपाल,ग्राम–पूठा,तहसील व जनपद – मेरठ, द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना से कोई आपत्ति नही है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्योग प्रतिनिधि से पूछा गया कि परियोजना में प्रयुक्त होने वाले ट्रकों की पार्किंग की क्या व्यवस्था की गयी है?

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रकों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है जिससे जाम इत्यादि की समस्या उत्पन्न नही होगी।

श्री महेश कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार, ग्राम रोठ रोही तहसील व जनपद मेरठ द्वारा पूछा गया कि पट्रोल में एथनॉल मिक्स किये जाने से पब्लिक का क्या लाभ होगा?

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि पेट्रोलियम पदार्थ दूसरे देशों से क्रय किया जाता है। यदि देश में ही बायो फ्यूल का उत्पादन कर पेट्रोल में मिक्स कर प्रयोग में लाया जायेगा तो कम मात्रा में बाहर के देशों से पेट्रोलियम पदार्थ,पेट्रोल व डीजल का क्रय करना होगा जिससे कि बाहर के देशों को की जाने वाले भुगतान में घटोत्तरी होगी। पेट्रोलियम पदार्थ में एथनॉल को मिक्स कर प्रयोग की जाने से दक्षता पर कोई प्रभाव नही पडता है।

श्री बिरेन्द्र कुमार शर्मा,सुल्तान नगर तहसील व जनपद मेरठ द्वारा पूछा गया कि परियोजना के क्षमता विस्तारीकरण से जनमानस को क्या लाभ होगा?

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया किं पूर्व में परियोजना द्वारा पेट्रोलियम पदार्थो की आपूर्ति 40,000 कि0ली0 प्रतिमाह की जाती थी परंतु गत् माह में आपूर्ति 80,000 कि0ली0 प्रतिमाह की गयी है। आपूर्ति का मॉग बढने से परियोजना में भण्डारण क्षमता विस्तारीकरण से आपूर्ति समय पर की जा सकेगी जिससे जनमानस को समय पर आपूर्ति हो सकेगी।

श्री बिरेन्द्र कुमार शर्मा,सुल्तान नगर तहसील व जनपद मेरठ द्वारा पुनः पूछा गया कि परियोजना के क्षमता विस्तारीकरण से पेट्रोल के मूल्य पर क्या प्रभाव पडेगा?

परियोजना प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पेट्रोल के मुल्य पर कोई प्रभाव नही पडेगा।

डा0 दीपक रिठानी तहसील व जनपद मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना में विस्तारीकरण के क्या–2 मापदण्ड हैं? यह आम जनमानस को कैसे पता चलेगा तथा परियोजना में प्रयोग होने वाले टैंकों के आवागमन से आम जनमानस को असुविधा नही होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना क्षमता विस्तारीकरण के संबंध में सुझाव/शिकायतों को दर्ज कराये जाने हेतु लगभग 01 माह से अधिक से पूर्व दिनांक 15.09.2018 को दैनिक समाचार पत्रों में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करायी गयी साथ ही उद्योग प्रतिनिधि कों निर्देशित किया गया कि ट्रकों के परिवहन से जाम इत्यादि की समस्या उत्पन्न न होने पाये। इस हेतु उपयुक्त कार्यवाही की जाये।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,मेरठ द्वारा उपस्थित जनसमुदाय का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

31.10.18

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मेरठ।

( मुकेश चंद्र)
अपर जिलाधिकारी (सिटी)
अपर जिलाधिकारी (नगर)
मेरठ